

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 28 अगस्त, 1997

संख्या जे0 डी0-97/13576- पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा-4 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथा बिनिर्दिष्ट और इससे संलग्न नक्शे में दिखाए गए अनुसार गांव महेंदवाड़ा, जिला गुड़गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आस-पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र घोषित करते हैं, अर्थात:-

अनुसूची

गांव महेंदवाड़ा, जिला गुड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आस-पास के अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0 टी0 पी0 (जी) 523/94, दिनांक 19 जूलाई, 1994 के साथ पढ़ा जाए:-

उत्तर: बिन्दू 'क' अर्थात गांव भोंडसी की आयत संख्या 237 के उत्तर पश्चिमी कोने से शुरू होकर, इसके बाद पूर्व की ओर आयत संख्या 237 और 238 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ उस बिन्दु तक जहां यह गांव भोंडसी की पूर्वी राजस्व सीमा से मिलती है।

पूर्व: इसके बाद दक्षिण की ओर गांव भोंडसी की राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दू "ख" तक अर्थात जहां गांव भोंडसी, गांव सहजावास और गांव बेहलपा की राजस्व सीमाएं मिलती हैं, इसके बाद दक्षिण की ओर गांव बेहलपा की आयत संख्या 10,11,31 और 32 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दू "ख" तक अर्थात गांव बेहलपा की आयत संख्या 32 का दक्षिण पूर्वी कोना।

दक्षिण: इसके बाद पश्चिम और उत्तर की ओर गांव बेहलपा की दक्षिणी और पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ग' तक अर्थात गांव बेहलपा की आयत संख्या 11 का उत्तर-पश्चिमी कोना, इसके बाद पश्चिम की ओर गांव भोंडसी की आयत संख्या 239 और 240 की दक्षिण सीमा के साथ-साथ आयत संख्या 240 के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक।

पश्चिम:- इसमें बाद उत्तर की ओर गांव भोंडसी की आयत संख्या 240 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर-पश्चिमी कोने तक, इसके बाद पूर्व की ओर आयत संख्या 240 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ उत्तर-पूर्वी कोने तक, इसके बाद उत्तर की ओर आयत संख्या 237 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'क' तक अर्थात प्रारम्भिक बिन्दु।

भास्कर चटर्जी,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाण सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 28th August, 1997

No. JD-97/13576- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf, the governor of Haryana declares the area around Govt. Primary School at village Mahendwara, Distt. Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of Boundary of the controlled area around Govt. Primary School of village-Rethoj, Distt. Gurgaon to be read with Drg. No. DTP(G) 523/94 dated 19st July, 1994.

North: Starting from point 'A' i.e. the north-western corner of rectangle No. 237 of village Bhondsi, thence towards east along the northern boundary of rectangle No. 237 and 238 upto the point it meets the eastern revenue boundary of village Bhondsi.

East: Thence towards south along the eastern revenue boundary of village Bhondsi upto the point 'B' i.e. the tri-junction of revenue boundaries of village Bhondsi village Shahjawas and village Behlpa, thence towards south along the eastern boundary of rectangle no. 10,11,31 and 32 of village Behlpa upto point 'B' i.e. the south eastern corner of rectangle No. 32 of village Behlpa.

South: Thence towards west and north along the Southern western revenue boundary of village Behlpa upto point 'C' i.e. the north western corner of rectangle No. 11 of village Behlpa, thence towards west along the southern boundary of rectangle No. 239 and 240 of village Bhondsi upto the south western corner of rectangle No. 240.

West: Thence towards north along the eastern boundary of rectangle No. 240 of village Bhondsi upto its north western corner, thence towards east along the northern boundary of rectangle No. 240 upto its north eastern corner, thence towards north along the western boundary of rectangle No. 237 upto point 'A' i.e. the point of start.

BHASKAR CHATTERJEE

Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Town & Country Planning Department.